

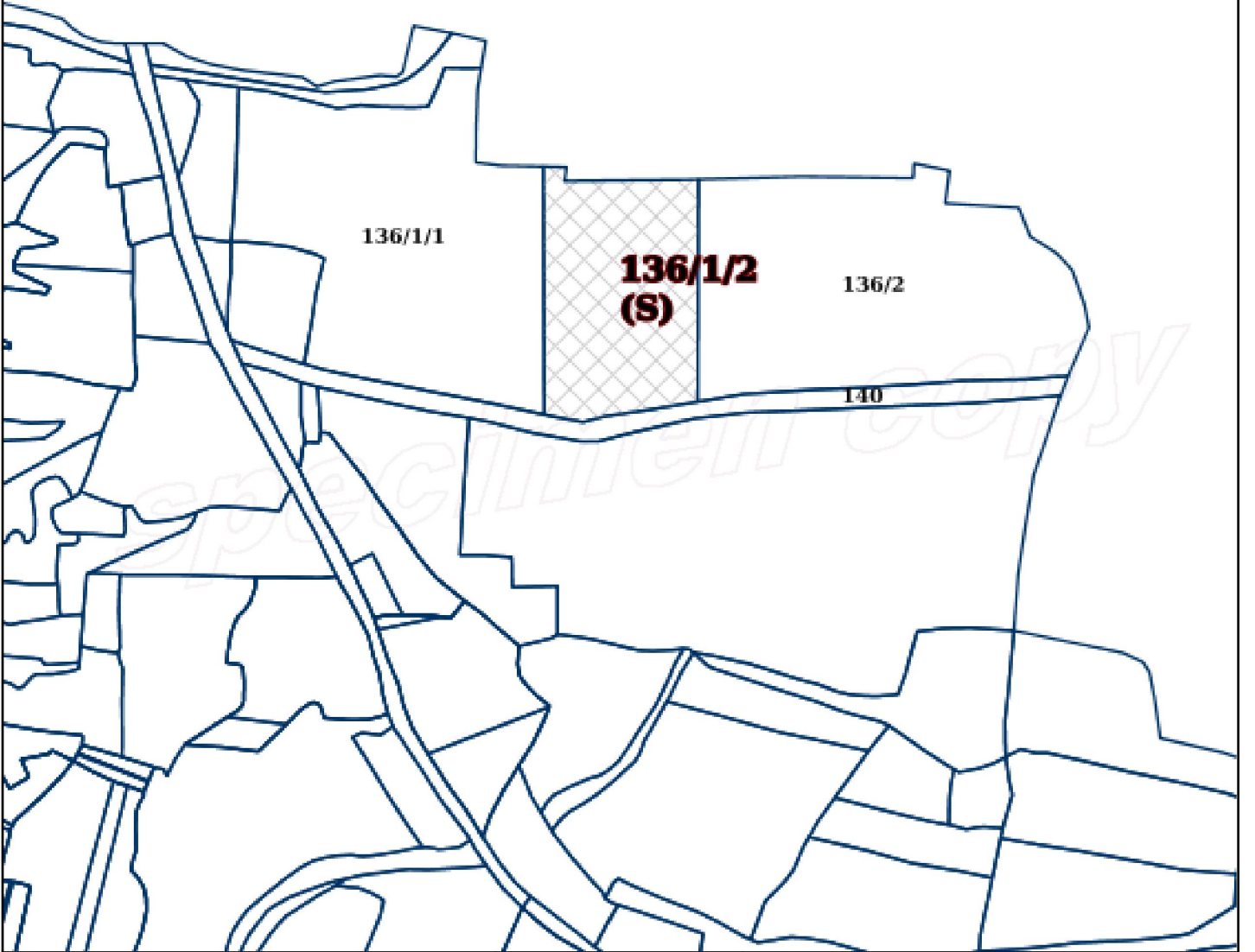


मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2021-22

दिनांक: 27-09-2021 16:35:12



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	बुदारीटोला	बुदारीटोला	मझौली	सीधी
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)  0 20 40 60 80 120 160 200m	
136/1/2(S)	1.4002 (हेक्ट.)	0		

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन सम्पूर्ण भाग शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।



मध्य प्रदेश कृषि मृदा भूमि विभाग

खसरा

प्रारूप एक निधम 6 दीर्घक

मध्य प्रदेश भू-संस्करण अधिनियम (भू-संस्करण तथा भू-अभिलेख) अधिनियम 2020

ग्राम बुंदारी/लोता			पटवारी हल्का बुंदारी/लोता			तहसील मंशौली			जिला सीधी		वर्ष 2021-2022
भूमि के भाग की सीमांक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या/ब्लॉक की दशा में	1 क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2 भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3 भू-संस्करण/भू-आवक (रु. में)	1 भूमिस्वामी का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2 शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1 सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2 पट्टे की अवधि 3 पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखिक कृषक (पट्टे कोर्ट हो) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलंब तथा प्रभार 1 बंधक 2 टीश्टबैंक 3 भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के खोरे		1 भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2 भूमि पर संरचना/वृक्ष 3 अन्य अभिलेखित 4 वर्ष के दौरान कृषि/गुह्यता (3) से (5) तक में परिवर्तन में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1516056682	136/1/2 (5)		14002 हेक्टेयर रु.000	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय सस्था	1						बटवारा प्रकरण क्रमांक 0001/अ 19-3/20 आदि 21/12/2018 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण (अन्य) प्रकरण क्रमांक 0001/अ 19-3/2018-19 आदि 21/12/2018 के अनुसार कलेक्टर सीधी द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0001/अ 19(3)/2021 22 आदेश दि. 07/05/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अंशित।

नोट :-

- यह प्रारूप केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायिक या साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटल मुद्रांक के लिए आई.टी. सेक्टर से लोक सेवा केंद्र से एम.पी. ऑनलाइन से अपलोड ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रतिष्ठान के सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।